न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 43 / 2014

आरसीएमएस नम्बर– 2014 / 00107

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. जयसिंह पुत्र ओटसिंह 2. मनोहरसिंह पुत्र ओटसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली		1 सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 22/7/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.01.2013 एवं उसकी पालना में सामुदायिक भवन C/o सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 21.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम शिवतलाव के खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.6500 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि आई हुई स्थित है, जिसके दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 705, 705/1, 705/2 व 706/7 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर की आई हुई स्थित हैं। ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त खसरा नम्बर 1095, जो कि रास्ते की भूमि है, में सामुदायिक भवन हेतु पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस बाबत न तो पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम की गई है एवं न ही नियमों में विहित प्रक्रिया अपनाई गई हैं। उक्त पट्टा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पूर्वी दिशा की माठ के सहारे सहारे जारी किया गया है, जिससे प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन भी बाधित हुआ है, साथ ही आमजन को भी रास्ते की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हुई हैं। उक्त भूमि आज भी मौके पर खाली पड़ी हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई, उसमें भी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को रास्ते की भूमि में बना होना बताया हैं। पंचायत को रास्ते की भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं होने से निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत कोरम में विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रकरण में जो पट्टा जारी हुआ है, वह प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 21.01.2013 की पालना में जारी किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 21.01.2013 को जो प्रस्ताव लिए गए, उसमें सामुदायिक भवन का पट्टा जारी करने बाबत किसी प्रकार का न तो प्रस्ताव लिया गया एवं न ही कोई आदेश पारित किया गया। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत कोरम की आज्ञा के बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध प्रतीत होता हैं। प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत शिवतलाव तथा पटवारी हल्का शिवतलाव द्वारा संयुक्त मौका जांच प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 1 में यह अंकित किया कि खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.65 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि में उक्त पट्टे की भूमि आई हुई हैं। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2 में यह अंकित किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि में गौरव पथ, सी.सी. रोड (12 फीट चौड़ा) तथा पास में तीन–तीन फीट की ग्रेवल मिट्टी की पट्टीयाँ होना जाहिर किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जहां तक रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में डी.एन.जे. (राज.) 1999 पेज 672 में माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर पंचायत का कोई हक नहीं है, क्योंकि वह राज्य सरकार की है। इस प्रकार जब भूमि पंचायत की थी ही नहीं, तो पंचायत को उक्त भूमि बेचान करने का अधिकार ही नहीं था। उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः लागू होता है, क्योंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि पर बिना कोरम में प्रस्ताव लिए पट्टा जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज़ योग्य पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा तथाकथित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21.01.2013 एवं उसकी पालना में सामुदायिक भवन C/o सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 21.01.2013 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/7/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली